नूरया वगैरा बनाम दकरवो वगैरा
T.I.

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10-5-19 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है। अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13-6-19 को पेश हो। रीडर 13-6-19 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15-7-19 को पेश हो। रीडर 15-7-19 वकील उभयपक्ष उप०। पुन: बहस T.I. प्रा०पत्र सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 30-7-19 को पेश हो। 30-7-19 वकील उभयपक्ष उप०। भूमि ख०नं० 587 रकबा 1.50 है० ग्राम चुली की मूल वाद के निर्णय होने तक मौके की एवं रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखने हेतु उभयपक्षकारान को अस्थाई नि.षेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवा जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
134/2015	2.11.2015	30-7-2019

1. नुरया पुत्र लटूर, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
2. नम्बल पुत्र लटूर, गुर्जर निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी
3. नुरको पुत्री लटूर पत्नी जौहरी, गुर्जर निवासी लालपुर तह0 गंगापुर सिटी
4. सूको पुत्री लटूर पत्नी भरत, गुर्जर निवासी लालपुर तह0 गंगापुर सिटी
5. कैलाशी पुत्री लटूर पत्नी चिरंजी, गुर्जर निवासी गुवाडी तह0 गंगापुर सिटी
6. नु0 दाखा बेवा लटूर, गुर्जर निवासी लालपुर तह0 गंगापुर सिटी

——प्रार्थीगण

बनाम

1. दक्खो बानो पत्नी दीनू खां, मुसलमान निवासी खानपुरबडौदा
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार/ सब रजिस्ट्रार, गंगापुर सिटी
3. बुधराम पुत्र रामस्वरूप, माली, वा0नं0 7 माली मोहल्ला,गंगापुर सिटी
4. हरकेश पुत्र जौहरीलाल, माली, खानपुरबडौदा ढाणीं पैमापुरा तह0गंगापुर

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री शिवचरण शर्मा , एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट, अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि भूमि ख0नं0 587 रकबा 1.50 है0, ख0नं0 529 रकबा 0.95 है0, ख0नं0 531 रकबा 0.75 है0, ख0नं0 532 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 530 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 1519 रकबा 0.60 है0, ख0नं0 1520 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 1521 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 1522 रकबा 0.45 है0, ख0नं0 1523 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 1524 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 1525 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 1526 रकबा 0.41 है0, ख0नं0 1527 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 1528 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 1529 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 1807 रकबा 0.51 है0, ख0नं0 1838 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 1839 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 1840 रकबा 0.62 है0, ख0नं0 528 रकबा 1.67 है0, ख0नं0 184 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 185 रकबा 0.29 है0, ख0नं0 188 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 1811 रकबा 0.44 है0 ग्राम चूली प्रार्थीगण एवं दावे में दर्ज प्रतिवादी नं0 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

दर्ज अपने अपने हिस्से अनुसार भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। ख0नं0 587 रकबा 1.50 है0 में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा प्रार्थीगण व दावे में दर्ज प्रतिवादी सं0 2 ता 7 का 1/2 हिस्सा समान रूप से है। खातेदार जयसिंह का देहान्त हो चुका है। दावे में दर्ज प्रतिवादी सं0 5 व 6 उसकी वारिस व उत्तराधिकारी है। इस प्रकार इस भूमि के 1/2 हिस्से में प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा है। विधि विरूद्ध तरीके से अप्रार्थी सं0 1 ने अपना हिस्सा अप्रार्थी सं0 3 व 4 को विचाराधीन वाद के दौरान जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 17.4.14 को विक्रय कर दिया है एवं वर्तमान में इनकी खातेदारी रिकार्ड में दर्ज है। भूमि ख0नं0 529 रकबा 0.95 है0, ख0नं0 531 रकबा 0.75 है0, ख0नं0 532 रकबा 0.27 है0 कुल रकबा 1.97 है0 में प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा व दावे में दर्ज प्रतिवादी सं0 4 ता 7 का 1/3, दावे में दर्ज प्रतिवादी सं0 8 मु0 उगन्ती का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खातेदार मु0 जानकी का देहान्त हो चुका है। रामजीलाल, मु0 कम्पूरी, फौरन्ती, कालिया उर्फ कल्ला जो कि दावे में प्रतिवादी सं0 4 ता 7 हैं, उनके वारिस व उत्तराधिकारी हैं। भूमि ख0नं0 530 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 1519 रकबा 0.60 है0, ख0नं0 1520 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 1521 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 1522 रकबा 0.45 है0, ख0नं0 1523 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 1524 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 1525 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 1526 रकबा 0.41 है0, ख0नं0 1527 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 1528 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 1529 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 1807 रकबा 0.51 है0, ख0नं0 1838 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 1839 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 1840 रकबा 0.62 है0 कुल रकबा 4.86 है0 में प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा है, दावे में दर्ज प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 4 ता 7 का 1/3 हिस्सा है। भूमि ख0नं0 528 रकबा 1.67 है0 में दावे में दर्ज प्रतिवादी सं0 9 व 10 का 1/5 हिस्सा, प्रार्थीगण व दावे में दर्ज प्रतिवादी सं0 2, 3 दावे में दर्ज प्रतिवादी सं0 4 व 7 के पिता, प्रतिवादी सं0 5 कम्पूरी के ससुर व प्रतिवादी सं0 6 के बाबा रतन पुत्र रामनारायण के नाम शेष भूमि खातेदारी में दर्ज है। खातेदार रतन का कई साल पूर्व देहान्त हो चुका है एवं दावे में दर्ज प्रतिवादी सं0 4 ता 7 उनके उत्तराधिकारीगण व वारिसान हैं। ख0नं0 181 रकबा 0.44 है0 में प्रार्थीगण का 1/4, दावे में प्रतिवादी सं0 2, 3 का 1/4, प्रतिवादी सं0 4 ता 7 का 1/4, प्रतिवादी सं0 12, 13 का 1/4 हिस्सा दर्ज है। ख0नं0 184 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 187 रकबा 0.29 है0, ख0नं0 188 रकबा 0.18 है0 कुल रकबा 0.68 है0 में प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा, दावे में

अति. जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

दर्ज प्रतिवादी सं0 11 लक्ष्मीदेवी का 2/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण उपरोक्त समस्त आराजी में अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त हैं परन्तु भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने के कारण अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थीगण को आये दिन हैरान व परेशान करते रहते हैं व काश्त में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। भूमि को रहन, वय कर रहे हैं व अकृषि में परिवर्तित करने पर आमादा हैं। भूमि ख0नं0 587 रकबा 1.50 है0 को अप्रार्थी सं0 1 दीगर व्यक्तियों को रहन, वय करने पर आमादा है और भूमि में प्लाट काटकर बेचने पर उतारू है। प्रतिवादी सं0 1 ने दि0 2.7.13 को भूमि पर आकर भूमि को दीगर व्यक्तियों को इकरारनामे के आधार पर प्लाटो की शक्ल में बेचने का इकरार किया। प्रार्थीगण ने भूमि का विभाजन करवाए बिना बेचने से मना किया तो अप्रार्थी सं0 1 नाराज हो गई व धमकी दी कि वह भूमि में प्लाट काटकर बेचान करेगी। प्रार्थीगण ने भूमि का विभाजन करवाने को कहा तो टालमटोल कर दिया। विचाराधीन वाद के दौरान अप्रार्थी सं0 1 ने अपने हिस्से की भूमि विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 17.4.2014 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को विक्रय कर दी है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वह ताफैसला दावा भूमि ख0नं0 587 रकबा 1.50 है0 ग्राम चूली में निर्माण कार्य कर अकृषि में परिवर्तन नहीं करे और बिना विभाजन रहन, वय नहीं करे एवं अप्रार्थी सं0 2 रहन, वय की स्थिति में भूमि का पंजीयन नहीं करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि अप्रार्थी ख0नं0 587 रकबा 1.50 है0 में 1/2 हिस्से की काबिज खातेदार है। यह नम्बर बराबर दो भागो में बंटा हुआ है। बीच में पुरानी डौल हो रही है। अप्रार्थी सं0 1 के हिस्से उत्तरी सीमा की तरफ सिवायचक है व प्रार्थीगण व दावे में दर्ज प्रतिवादी सं0 2 लगायत 7 का 1/2 हिस्सा दक्षिण की तरफ है। अप्रार्थी ने यह भूमि दिनांक 13.12.06 को तत्समय रिकार्ड में दर्ज खातेदार गिरधारी, मुरारी, मोहनलाल पुत्रान जौहरी, कलिया बेवा जौहरी से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीद कर चाटी चलवाकर खाद आदि डालकर इसे उपजाउ बनाया है व अपने हिस्से की 3 बीघा भूमि की डौल मेड कराकर मौके पर अपना हिस्सा अलग कर रखा है जो उत्तरी तरफ का है व सिचायचक से सटवां है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाई जावे।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अप्रार्थी नं0 3 व 4 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि भूमि ख0नं0 587 रकबा 1.50 है0 में 1/2 हिस्सा अप्रार्थी सं0 दक्खो बानो का है जिसने विधिक तरीके से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.4.2014 को अपना हिस्सा अप्रार्थी नं0 3 व 4 को विक्रय किया है जिनका नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सं0 2070 से 2073 में अंकित हो चुका है। अप्रार्थीगण को लम्बित वाद की तत्समय जानकारी नहीं थी। मु0 दक्खो के हिस्से में बोरिंग लगी हुई थी तथा उसके नाम से विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 2106/689 लगा हुआ था। उसने अपना हिस्सा मय बोरिंग व विद्युत कनेक्शन मिन जबाबदारान को विक्रय किया है और वे इस भूमि पर काबिज हैं। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नियमानुसार निर्णित फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थीगण ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2066 से 2069 खाता संख्या 570, 541, 546, 63, 28, 244 फोटोकोपी नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किए हैं।

अप्रार्थी नं0 1 के वकील ने फोटोकोपी नकल नक्शा ट्रेस, फोटोकोपी विक्रयपत्र दिनांक 13.12.2006, फोटोकोपी विद्युत बिल प्रस्तुत की है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि ख0नं0 587 रकबा 1.50 है0 संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसका अभी विभाजन नहीं हुआ है। अप्रार्थी नं0 1 का इस भूमि में 1/2 हिस्सा है । अप्रार्थी नं0 1 ने वादग्रस्त भूमि में प्लाट काटकर इसे अकृषि में परिवर्तित करना चाहा जिसके लिए प्रार्थीगण ने मना किया व भूमि विभाजन कराने हेतु कहा परन्तु अप्रार्थी नं0 1 ने यह कार्य नहीं किया बल्कि भूमि दौराने वाद अप्रार्थी नं0 3 व 4 को विक्रय कर दी। अप्रार्थी नं0 3 व 4 भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में प्रार्थीगण को बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए इन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4 के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी नं0 1 ने भूमि के तत्कालीन खातेदारों से वर्ष 2006 में जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी थी। मौके पर अप्रार्थी नं0 1 का उत्तरी हिस्सा है। मौके पर अप्रार्थी नं0 1 के हिस्से की 3 बीघा भूमि की अलग से डौल मेड बनी हुई है। अप्रार्थी नं0 1 ने अपने हिस्से की 3 बीघा भूमि अप्रार्थी नं0 3 व 4 को वर्ष 2014 में जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दी है एवं

उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

जब वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी नं0 3 व 4 के नाम खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर यह अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि ख0नं0 587 प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण का यह कहना है कि उनका भूमि में 1/2 हिस्सा है जो उत्तर दिशा की ओर का है परन्तु अभिलेख से भूमि विभाजन होने सम्बन्धी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। जब तक भूमि का विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता है तब तक सभी सहखातेदारों का भूमि के प्रत्येक भाग पर संयुक्त कब्जा माना जाता है। अप्रार्थीगण विवादित भूमि में अपना हिस्सा पृथक होने सम्बन्धी राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं ऐसी स्थिति में वे अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कराने के अधिकारी नहीं है। चूंकि भूमि अविभक्त है एवं भूमि में अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार हैं इसलिए उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना भी हम न्यायोचित नहीं मानते हैं परन्तु भूमि को लेकर दोनों पक्षो में विवाद है इसलिए हम वादग्रस्त भूमि को लेकर पक्षकारो में आगे कोई विवाद नहीं बढे इस बात को ध्यान में रखते हुए वादग्रस्त भूमि की मौका एवं रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखने हेतु उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उपरोक्तानुसार निर्णित किया जाकर भूमि ख0नं0 587 रकबा 1.50 है0 ग्राम चूली की मूल वाद के निर्णय होने तक मौके की एवं रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखने हेतु उभयपक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 30-7-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.11.20 11:24:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: